



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2015 जिला-जबलपुर

2039-I-15  
उपर्युक्त

जगदीश प्रसाद गौड पुत्र श्री रामाधीन  
गौड निवासी-मकान नं. 68 राजीव  
गांधी वार्ड केन्ट तहसील व जिला  
जबलपुर (म.प्र.) ..... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. हरिराम पटेल पुत्र श्री मुन्नालाल पटेल  
निवासी-रेत नाका के पास ग्वारी घाट  
पुरानी बस्ती तहसील व जिला जबलपुर  
(म.प्र.)
2. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला  
जबलपुर ..... प्रत्यर्थीगण

श्री अपील प्रकरण क्रमांक  
दायरा आज 37/15  
प्रस्तुत  
राजस्व मण्डल ग्वालियर

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निगो 2039-एक / 15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	वर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-7-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तकाँ एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर, जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 367/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 09-7-14 से परिवेदित होकर म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 के तहत प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत भूमि विक्य का आवेदन निरस्त किया गया है।</p> <p>2— आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि विक्य की जा रही प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 188 रकबा 0.061 एवं सर्वे नं. 196/3 रकबा 0.206 जो ग्राम छिवलहा तहसील व जिला जबलपुर में स्थित है उक्त भूमि आवेदक की स्वर्त्तित भूमि है। उक्त भूमि आवेदक के लिए लाभप्रद नहीं होने के कारण आवेदक द्वारा उसे विक्य की अनुमति हेतु आवेदन दिया गया, जिसे कलेक्टर ने इस आधार पर निरस्त किया है कि आवेदक के पास 1.817 हैक्टर भूमि शेष बच रही है, जो सही नहीं है उक्त भूमि विक्य के पश्चात आवेदक के पास 6 हैक्टर से अधिक भूमि शेष बच रही है जो संहिता में दिए गए प्रावधानों से अधिक है तथा उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी ने विधिवत जांच कर भूमि विक्य किए जाने की अनुशंसा की गई है। उनके प्रतिवेदनों को अनदेखा कर कलेक्टर ने आवेदक का भूमि विक्य की अनुमति दिए जाने का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की है।</p>	(Signature)

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आर्द्धश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>उक्त आधारों पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिए दिए जाने का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि केता उसे वर्तमान बाजार मूल्य से विक्रय प्रतिफल देने को तैयार हैं।</p> <p>3— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया है वह उचित है। उनके द्वारा यह कहा गया चूंकि आवेदक ने कलेक्टर न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां पेश की हैं अतः प्रकरण का निराकरण इसी स्तर पर करते हुए आवेदक की निगरानी निरस्त की जाये।</p> <p>4— उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकरण में यह भी निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि उसके द्वारा स्वयं कर्य की भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। कलेक्टर ने मुख्य रूप से आवेदक को इस आधार पर प्रस्तावित भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है कि आवेदक के पास संहिता की धारा 165 के प्रावधानों के तहत पांच एकड़ सिंचित अथवा दस एकड़ असिंचित भूमि शेष नहीं बच रही है। कलेक्टर का उक्त आधार अभिलेख पर आधारित न होकर त्रुटिपूर्ण है क्योंकि आवेदक द्वारा इस जो दस्तावेज पेश किये गये हैं उनमें तहसीलदार का प्रतिवेदन भी संलग्न है जो उन्होंने जांच उपरांत अनुविभागीय अधिकारी को पेश किया है, इसमें आवेदक के पास 3.775 हैक्टर तथा उसकी पत्ती के नाम 0.773 हैक्टर कुल 4.508 हैक्टर भूमि होने का उल्लेख है। यदि इस भूमि में से प्रश्नाधीन भूमि 0.267 हैक्टर को कम कर दिया जाता है तो भी आवेदक के पास 4 हैक्टर से अधिक भूमि बचेगी जो संहिता की धारा 165 के प्रावधानों से अधिक है। इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में आवेदक को</p>	

## XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2039-एक / 15

जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	<p>व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में सेवारत होने का उल्लेख भी किया गया है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा जिस आधार पर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि विक्रय की अनुमति देने से इंकार किया है वह अभिलेख पर आधारित न होकर स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरांत आवेदक को उसके भूमिस्वामित्व की ग्राम छिवलहा तहसील व जिला जबलपुर स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 188 रकबा 0.061 एवं सर्वे नं. 196/3 रकबा 0.206 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :—</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1— यदि प्रस्तावित केता वर्तमान वर्ष 2015–16 की गाइड लाइन से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो।</li> <li>2— केता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि ( पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके ) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।</li> <li>3— केता द्वारा कंडिका 2 में उल्लिखित राशि आवेदक के खाते में जमा कर पास बुक तथा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर तथा उपरोक्तानुसार विक्रय धन विकेता आवेदक के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा।</li> <li>2— भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा।</li> </ul> <p>निगरानी तदनुसार निराकृत की जाती है। उभयपक्ष सूचित है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	